फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

बैंक ऑफ महाराष्ट्र **बनाम** मैसर्स समित एन्टर प्राईजेज

केस संख्या 156/2020 (धारा 14 सरफेशी एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.12.2020.	प्रार्थी वित्तीय संस्था–बैक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 17.12.2020 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
17.12.20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है। विपक्षी जीतेन्द्र सिंह चौहान की ओर से वकील श्री अश्वनी मिश्रा ने वकालतनामा पेश किया DRT के स्थगन आदेश दिनांक 27.11.2020 की फोटो प्रति पेश की है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विड्रो किये जाने का निवेदन किया है। विपक्षी वकील ने कोई एतराज नहीं किया। अत: धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	withdrawn 17/12/20